



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935

No. 629]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013

**सा.का.नि. 806(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1974 को जहां तक इसका संबंध निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 2 के पदों से है और प्रश्नगत दस्तावेजी सरकारी परीक्षक, प्रश्नगत दस्तावेजी सरकारी उप परीक्षक और प्रश्नगत दस्तावेज सरकारी सहायक परीक्षक भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं और इसकी बाहरी इकाइयों में निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई', उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी', सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' तथा वैज्ञानिक 'बी' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो नियम 6 से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. पारस्परिक ज्येष्ठता, न्यूनतम अर्हक अवधि इत्यादि.**—

(1) उस शर्त के अधीन जिसमें अपनी-अपनी श्रेणियों के भीतर आंतरिक-सह-ज्येष्ठता में व्यवधान नहीं होगा, अपनी-अपनी श्रेणियों के लिए अधिकारियों की नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार आंतरिक-सह-ज्येष्ठता अवधारित की जाएगी।

(2) अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पद, समय-समय पर संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित नमनीय पूरक स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् नमनीय पूरक स्कीम कहा गया है) के अधीन प्रचालित होंगे और नीचे सारणी के स्तंभ (1) में

यथाविनिर्दिष्ट पदनामों के साथ उक्त पद उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वहन करेंगे और उसके स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अगली श्रेणी में प्रोन्नति के लिए श्रेणी में पालन से सहबद्ध न्यूनतम अर्हक अवधि पूरी करेंगे ।

पदनाम (1)	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान (2)	अगली श्रेणी में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक अवधि, जो कि पालन से सहबद्ध हो (3)
(क) निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई'	वेतन बैंड-4 (37400-67000रु.) ग्रेड वेतन 8700 रु.	--
(ख) उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी'	वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) ग्रेड वेतन 7600 रु.	चार वर्ष
(ग) सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी'	वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) ग्रेड वेतन 6600 रु.	चार वर्ष
(घ) वैज्ञानिक 'बी'	वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) ग्रेड वेतन 5400 रु.	तीन वर्ष

5. नमनीय पूरक स्कीम के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नतियों तथा चयन प्रक्रिया या पुनर्विलोकन के लिए विचारणीय मानदंड नमनीय पूरक स्कीम के अंतर्गत वैज्ञानिक 'बी' की श्रेणी से सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी', सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' से उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' तथा उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' से निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई' के पद पर प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित मानदंड और चयन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात् :—

(I) निर्धारण के दो स्तर होंगे । पहला स्तर छानबीन प्रयोजनों के लिए आंतरिक स्तर पर होगा तथा अगला स्तर चयन के लिए बाह्य निर्धारण प्रयोजनों के लिए होगा और इस प्रयोजन के लिए,—

(क) नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए वर्ष में एक बार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से पहले विचार किया जाएगा और उन अधिकारियों का जिनका वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष 31 दिसम्बर तक जिसमें निर्धारण किया जाना है, और वर्ष के 30 जून तक जिस वर्ष में निर्धारण किया जाना है, ने विशिष्ट पद में अपेक्षित अर्हक अवधि पूरी कर ली है या कर लेंगे, अगली उच्चतर श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा तथा अपेक्षित अर्हक अवधि का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि जिस वर्ष के लिए मूल्यांकन किया जाना है, उस वर्ष की 1 जनवरी होगी ।

(ख) जहां पात्र अधिकारी विदेश सेवा या भारत में या भारत से बाहर अध्ययन अवकाश पर है तो भी उनके मामले पर विचार किया जाएगा और यदि उनका नमनीय पूरक स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए अनुमोदन कर दिया गया है तो ऐसी प्रोन्नति की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जिसको वह यथास्थिति, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय या इसकी बाहरी इकाईयां में कार्यभार संभालती हैं और उसी तारीख से उसे वित्तीय लाभ भी देय होंगे । साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता या मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

(ग) नमनीय पूरक स्कीम के अधीन सभी पात्र अधिकारियों पर इसके अधीन प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा किन्तु सभी उत्कृष्ट श्रेणियों वाले आपवादिक सभी मेधावी अभ्यर्थियों को अर्हक अवधि में शिथिलता दी जाएगी, उनके संपूर्ण जीवन वृत्ति में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित यह शिथिलता किसी एकल अवसर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और अगली श्रेणी के लिए नमनीय पूरक स्कीम के अधीन निर्धारण अगली श्रेणी के लिए केवल तीन बार होगा और वे अधिकारी जिन्हें उपांतरित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम के अधीन कोई श्रेणी प्रदान की गई है, उन पर इस संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचना और आदेशों द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित पात्रता और उपबंधों के अनुसार नमनीय पूरक स्कीम के अधीन अगली श्रेणी के लिए विचार किया जाएगा ।

(घ) प्रोन्नति प्राप्त कोई अधिकारी अपने साथ पद वहन करता है और परिणामस्वरूप निम्न स्तर पर कोई रिक्ति नहीं हुई है और जहां अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या पदत्याग या मृत्यु द्वारा किसी अधिकारी के पद छोड़ने के कारण कोई रिक्ति हुई है, वहां उसे सीधी भर्ती या प्रोन्नति के लिए रोस्टर के अनुसार वैज्ञानिक 'बी' के स्तर पर भरा जाएगा ।

(ङ) वैज्ञानिक क्रियाकलापों में क्षेत्रीय अनुभव और सेवाएं, नमनीय पूरक स्कीम के अधीन उच्चतर श्रेणियों में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति के लिए अनिवार्य है ।

(2) आंतरिक छानबीन के प्रथम स्तर को उपनियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट छानबीन समिति द्वारा पूरा किया जाएगा जो नमनीय पूरक स्कीम के अधीन उन्नयन के लिए मानदंड के अनुसार वार्षिक कार्य रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगी और सभी पात्र अधिकारी जो सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी' के लिए 'अच्छा' और उपनिदेशक या वैज्ञानिक 'डी' और ऊपर के लिए 'बहुत अच्छा' बेंचमार्क को पूरा करते हैं, छानबीन की जाएगी और ऐसे अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक अंतर्वस्तु पर रिपोर्ट छानबीन समिति द्वारा निर्धारण बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने के लिए निम्नलिखित फार्मेट में दी जाएगी, अर्थात् :-

छानबीन समिति पुनर्विलोकन रिपोर्ट :-

1. रिपोर्ट किए गए कार्य की वैज्ञानिक और तकनीकी अंतर्वस्तु का श्रेणीकरण
2. मान्यताप्राप्त विनिर्दिष्ट नवप्रवर्तन तत्व
3. रिपोर्ट किए गए कार्य का सापेक्ष निर्धारण अर्थात् क्षेत्र में आंकन  
[शिखर 10% ,33-50% , 50-75%, निम्न 25%]
4. अर्हता अवधि के दौरान किए गए कार्य का निर्धारण
5. किए गए कार्य की वैज्ञानिक और तकनीकी अंतर्वस्तु के विनिर्दिष्ट मुख्य बिंदु
6. अर्हता अवधि के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य रिपोर्ट का समस्त श्रेणीकरण  
[शिखर 10%, 10-33%,33-50% , 50-75%, निम्न 25%]

“छानबीन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर”

(3) उपनियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन) छानबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए सभी मामलों पर विचार करेगा और उसे अनुमोदित करेगा और यदि यह विनिश्चय करता है कि कोई अधिकारी निर्धारण बोर्ड द्वारा प्रोन्नति के लिए विचार हेतु अर्हित नहीं है तो उसका मामला एक वर्ष पश्चात् इसके विचार के लिए छानबीन समिति के समक्ष रखा जाएगा और उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट छानबीन के लिए प्रक्रिया का पुनःअनुसरण किया जाएगा ।

(4) बाह्य निर्धारण के दूसरे स्तर के प्रयोजनों के लिए ;

(क) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए ; सभी अधिकारी जिनकी छानबीन की गई है और छानबीन समिति द्वारा सिफारिश की गई है और छानबीन समिति द्वारा सिफारिश की गई है और अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन) द्वारा अनुमोदन किया गया है, उपनियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट निर्धारण बोर्ड द्वारा उनका निर्धारण किया जाएगा ।

(ख) निर्धारण बोर्ड प्रत्येक अधिकारी का उनके कार्य के निबंधनों में निष्पत्ति का मूल्यांकन कार्य करेगा और उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता की सिफारिश करेगा और उक्त बोर्ड विचाराधीन अवधि के भीतर ऐसे अधिकारी के कार्यों के अतिरिक्त उसकी वृत्ति के अनुपालन में ऐसे अधिकारी द्वारा दर्शित उत्सुकता और अधिक जिम्मेवारी जिसमें वैज्ञानिक क्रियाकलाप और सेवाएं तथा विकास क्षमताओं, प्रबंधकीय या नेतृत्व गुण सम्मिलित हैं, लेने की योग्यता को ध्यान में रखेगा ।

(ग) निर्धारण अधिकारी, प्रत्येक अधिकारी के पालन और योग्यता पर विचार करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट रूप से एक पृष्ठ के सारांश के माध्यम से नमनीय पूरक स्कीम के अधीन विचार के लिए उनकी योग्यता को न्यायोचित ठहराते हुए किए गए कार्य की अंतर्वस्तु का दस्तावेज रखेगा और प्रमाणित करेगा कि इस प्रकार सिफारिश किए गए अधिकारी नमनीय पूरक स्कीम के अधीन उन्नयन के लिए मानदंड को पूरा करते हैं ।

(घ) इसमें निर्धारण के आधार पर, निर्धारण बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक की सिफारिश कर सकेगा :

(i) अगली उच्चतर श्रेणी में अधिकारी की प्रोन्नति ; या

(ii) यथास्थिति, - अर्थात् श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं ।

(ङ) उन अधिकारियों के मामलों का पुनर्विलोकन जिनकी निर्धारण बोर्ड द्वारा यथास्थिति, सिफारिश कर रही है एक वर्ष की अवधि के पश्चात् छानबीन समिति द्वारा पुनःविचार किया जाएगा और उपनियम (2) से उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पुनःपालन किया जाएगा ।

(5) निर्धारण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर उपनियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण) द्वारा विचार किया जाएगा और इसका निर्णय प्रत्येक मामले में अंतिम होगा।

(6) छानबीन समिति, अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन) निर्धारण बोर्ड और अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण) की संरचना नीचे सारणी में यथारूप से दी जाएगी :-

#### सारणी

क्रम संख्या	जिस पद के लिए प्रोन्नति की जाएगी	छानबीन समिति	अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन)	निर्धारण बोर्ड	अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' से निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई'	छानबीन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :- 1. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय - सदस्य 3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग के क्षेत्र में भारत सरकार के किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन का कोई प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो (जिसे गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) - सदस्य	अपर सचिव, गृह मंत्रालय	निर्धारण बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा :— 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग— 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय— 3. निदेशक सह मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय— 4. न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) —	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य	प्रभारी मंत्री गृह मंत्रालय
(2)	सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' से उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी'	1. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक सह मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय - सदस्य 3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग के क्षेत्र में भारत सरकार के किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन का कोई प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो (जिसे गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) - सदस्य	अपर सचिव गृह मंत्रालय	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग— 2. संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय— 3. निदेशक सह मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय— 4. न्यायालयिक विज्ञान के सुसंगत क्षेत्र से संबंधित तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) —	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य	प्रभारी मंत्री गृह मंत्रालय
(3)	वैज्ञानिक 'बी' से सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी'	1. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक सह मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय - सदस्य	अपर सचिव गृह मंत्रालय	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग— 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय—	अध्यक्ष सदस्य	प्रभारी मंत्री (गृह मंत्रालय)

		3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग के क्षेत्र में भारत सरकार के किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन का कोई प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो (जिसे गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) - सदस्य		3. निदेशक सह मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय— 4. न्यायालयिक विज्ञान के सुसंगत क्षेत्र से संबंधित तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) —	सदस्य  सदस्य	
--	--	---	--	--	--------------------	--

6. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं** : (1) भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए नमनीय पूरक स्कीम का उन विभागीय अधिकारियों की बाबत अनुसरण किया जाएगा जो नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी', उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' तथा निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई' के ग्रेड में हो तथा अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक प्रवर्ग में पूर्ण पारस्परिक परिवर्तनशीलता बिना किसी निर्बंधन के होगी सिवाए पदधारियों की कुल संख्या अनुमोदित पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(3) नमनीय पूरक स्कीम के अंतर्गत की गई प्रोन्नति संबंधित अधिकारी हेतु वैयक्तिक होंगी, परिणामस्वरूप इस कारण निम्नतर श्रेणी में कोई रिक्ति पैदा नहीं होगी तथा संबंधित अधिकारी द्वारा धारित वर्तमान धारित पद का प्रोन्नति पर उसके रुकने की अवधि के लिए उन्नयन कर दिया जाएगा, तथा जैसे ही कोई अधिकारी अपने उच्चतर पद को छोड़ देता है यह पद अपने मूल स्तर पर वापस हो जाएगा ।

(4) नमनीय पूरक स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नत के लिए पाए गए पात्र अधिकारियों की प्रभावी तारीख अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण) द्वारा प्रोन्नति के अनुमोदन की तारीख से होगी ।

(5) वे अधिकारी जो अवकाश पर हैं, उन्हें उच्चतर वेतनमान में वेतन उसी तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा जिस तारीख को अपने उच्चतर पद के कार्यभार को संभालते हैं ।

(6) वे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर बाहर हों उन्हें प्रोन्नति उनके यथास्थिति न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय या इसकी बाहरी इकाईयों में वापिस आकर पदग्रहण करने की तारीख से ही दी जाएगी किंतु ऐसे मामलों में प्रोफॉर्म प्रोन्नति लागू नहीं होगी ।

(7) वे अधिकारी जो अवकाश या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के कारण मूल्यांकन हेतु प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होने में असफल रहते हैं वे प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(8) वे अधिकारी जिन्हें धारणाधिकार के प्रतिधारण के साथ तकनीकी त्याग पत्र के लिए अनुज्ञात किया गया हो, उन्हें यथास्थिति, उनके न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय व इसकी बाहरी इकाईयों में वापिस आकर पद ग्रहण करने की तारीख से ही प्रोन्नत किया जाएगा ।

(9) छानबीन समिति केवल उन्हीं अधिकारियों पर विचार करेगी जो पूर्वोक्त अनुसूची में अधिकथित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हो तथा किसी भी प्राधिकारी के पास नमनीय पूरक स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए अधिकारियों के किसी प्रवर्ग के लिए उक्त पात्रता शर्तों को शिथिल करने की कोई स्वेच्छा निर्णय शक्ति नहीं होगी और वह अधिकारी जो अपेक्षित पात्रता शर्त पूरा नहीं करता है उसे केवल इस आधार पर कि उसका कनिष्ठ जो विचारित किए जाने के लिए अपेक्षा पूरी करता है, नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा ।

(10) ऐसी प्रतिनियुक्ति या किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर विदेश सेवा में लगाई गई अवधि जो उस अधिकारी के वैज्ञानिक अनुभव या क्षेत्र अनुभव में मददगार हो तथा अध्ययन छुट्टी या कोई अन्य अवकाश जो शैक्षिक कौशल में सुधार करने को लिया गया हो या केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अंतर्गत स्वीकृत मातृत्व अवकाश के साथ-साथ अधिकतम 1 वर्ष की अवधि का स्वीकृत अवकाश एक बार में 180 दिन से अनधिक स्वीकृत अर्जित अवकाश (केन्द्रीय सिविल सेवा (नियम) 1972 के अंतर्गत सीमा) के अनुरूप ऐसी अवधियों को प्रोन्नति हेतु अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी किन्तु गैरवैज्ञानिक पदों पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा की अवधि तथा चिकित्सा के आधार पर छुट्टी सहित अवकाश अवधि और व्यक्तिगत कारणों से लिए गए असाधारण छुट्टी की अवधि, अर्हता अवधि के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ।

## 7. निरर्हता : वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या  
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. शिथिल करने की शक्ति :-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

9. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)																																									
1. वैज्ञानिक 'बी' (प्राक्षेपिक) - प्रवर्ग I	102(2013)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । टिप्पण - पदों की संख्या जिसमें नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार वैज्ञानिक 'बी', सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी', उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' तथा निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई' सम्मिलित हैं :																																									
वैज्ञानिक 'बी' (जीव विज्ञान) - प्रवर्ग II																																										
वैज्ञानिक 'बी' (रसायन शास्त्र) - प्रवर्ग III																																										
वैज्ञानिक 'बी' (विस्फोटक) - प्रवर्ग IV																																										
वैज्ञानिक 'बी' (न्यूट्रान एक्टिवेशन एनलिसिस) - प्रवर्ग V																																										
वैज्ञानिक 'बी' (भौतिकी) - प्रवर्ग VI																																										
वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान) - प्रवर्ग VII																																										
वैज्ञानिक 'बी' (प्रलेख) - प्रवर्ग VIII																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रवर्ग</th> <th>वैज्ञानिक 'बी'</th> <th>सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी'</th> <th>उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी'</th> <th>निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई'</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्राक्षेपिक</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td rowspan="8">3</td> <td rowspan="8">102</td> </tr> <tr> <td>जीव विज्ञान</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>रसायन शास्त्र</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>विस्फोटक</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>न्यूट्रान एक्टिवेशन एनलिसिस</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>भौतिकी</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>विष विज्ञान</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>प्रलेख</td> <td>21</td> <td>12</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	प्रवर्ग	वैज्ञानिक 'बी'	सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी'	उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी'	निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई'	कुल	प्राक्षेपिक	4	3	3	3	102	जीव विज्ञान	6	3	3	रसायन शास्त्र	5	2	2	विस्फोटक	3	3	3	न्यूट्रान एक्टिवेशन एनलिसिस	1	1	1	भौतिकी	4	2	3	विष विज्ञान	5	3	3	प्रलेख	21	12	3
प्रवर्ग		वैज्ञानिक 'बी'	सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी'	उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी'	निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई'	कुल																																				
प्राक्षेपिक	4	3	3	3	102																																					
जीव विज्ञान	6	3	3																																							
रसायन शास्त्र	5	2	2																																							
विस्फोटक	3	3	3																																							
न्यूट्रान एक्टिवेशन एनलिसिस	1	1	1																																							
भौतिकी	4	2	3																																							
विष विज्ञान	5	3	3																																							
प्रलेख	21	12	3																																							

वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 (15600-39100 रु०) और ग्रेड वेतन 5400 रु०	चयन पद	35 वर्ष से अधिक नहीं ।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)  टिप्पण - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(7)

I) आवश्यक

(i) शैक्षणिक अर्हता

(क) वैज्ञानिक 'बी' (प्राक्षेपिक) : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी/ गणित/ अनुप्रयुक्त गणित / न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर भौतिकी या गणित एक विषय के रूप में रहा हो ।

(ख) वैज्ञानिक 'बी' (जीव विज्ञान) : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/ प्राणी विज्ञान/ सूक्ष्म जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी/ जैव रसायन शास्त्र/ भौतिकी मानव विज्ञान/ न्यायालयिक विज्ञान/ आनुवंशिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो ।

(ग) वैज्ञानिक 'बी' (रसायन शास्त्र) : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र / परीक्षा द्वारा एआईसी/जैव रसायन / न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो ।

(घ) वैज्ञानिक 'बी' (विस्फोटक) : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र / परीक्षा द्वारा एआईसी / न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो ।

(ङ) वैज्ञानिक 'बी' (न्यूट्रान एक्टिवेशन एनलिसिस) : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र / परीक्षा द्वारा एआईसी/भौतिकी / न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर रसायन शास्त्र या भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो ।

(च) वैज्ञानिक 'बी' (भौतिकी) : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी/ अनुप्रयुक्त भौतिकी /जैव भौतिकी/ बैचलर ऑफ इंजीनियरी (सिविल /इलेक्ट्रिकल/यांत्रिकी/ इलेक्ट्रॉनिक/दूर संचार/कंप्यूटर विज्ञान /इस्टमेटल)/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो ।

(छ) वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान) : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/परीक्षा द्वारा एआईसी/जैव रसायन/ भेषजगुण विज्ञान/फार्मेसी/न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो ।

(ज) वैज्ञानिक 'बी' (प्रलेख) : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र / परीक्षा द्वारा एआईसी/भौतिकी / न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर रसायन शास्त्र या भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो ।

(ii) अनुभव - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार संगठन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में सुसंगत क्षेत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति और अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण 1** - शैक्षणिक अर्हताएं और वह वे क्षेत्र जिनमें अनुसंधान अनुभव अपेक्षित है, में सुसंगत शाखा(एं) भर्ती के समय आवश्यकता के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

**टिप्पण 2** : अर्हता अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी ।

**टिप्पण 3** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हता नमनीय हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में नहीं है ।

## II) वांछनीय

(i) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य का अनुभव ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।

(8)

आयु - नहीं

शैक्षणिक अर्हता - नहीं, किन्तु सुसंगत विषय में कम से कम बीएससी डिग्री अवश्य होनी चाहिए ।

**टिप्पण** - ठीक शाखाओं के निर्धारण के संबंध में स्तंभ (7) के अधीन टिप्पण । प्रोन्नत व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होंगे । वे व्यक्ति जो प्रत्येक प्रवर्ग में उल्लिखित किसी शाखा में अर्हता और अनुभव रखते हों, केवल उसी प्रवर्ग में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे ।

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण :- व्यष्टिक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए भर्ती की पद्धति का निर्धारण लागू होगा ।	प्रोन्नति :- (i) ..... के पदों के लिए वैज्ञानिक 'बी' (प्राक्षेपिक) वैज्ञानिक 'बी' (जीव विज्ञान)/ वैज्ञानिक 'बी' (रसायन शास्त्र)/ वैज्ञानिक 'बी' (विस्फोटक)/ वैज्ञानिक 'बी' (न्यूट्रान एक्टीवेशन एनालिसिस)/ वैज्ञानिक 'बी' (भौतिकी)/ वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान) ऐसा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा कर चुके हों । (ii) वैज्ञानिक 'बी' (प्रलेख) के पदों के लिए सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी - 1 (प्रलेख) जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा कर चुके हों । <b>टिप्पण 1</b> : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए



		<p>विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>
--	--	--

## यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग  | अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय | सदस्य   |
| 3 | निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय  | सदस्य   |

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय            | अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं | सदस्य   |
| 3 | निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय   | सदस्य   |

**टिप्पण.-** सीधी भर्ती की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी । तथापि यदि उन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी प्रमुखता में विभागीय प्रोन्नति समिति की नयी बैठक आयोजित की जाएगी ।

## भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

(13)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)
2. सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' (प्राक्षेपिक)	- प्रवर्ग I
सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' (जीव विज्ञान)	- प्रवर्ग II
सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' (रसायन शास्त्र)	- प्रवर्ग III
सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' (विस्फोटक)	- प्रवर्ग IV
सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' (न्यूट्रान एक्टिवेशन एनलिसिस)	- प्रवर्ग V
सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' (भौतिकी)	- प्रवर्ग VI
सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' (विष विज्ञान)	- प्रवर्ग VII
सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' (प्रलेख)	- प्रवर्ग VIII

लागू नहीं होता क्योंकि पद नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रचालित हो रहा है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 6600 रु.	नमनीय पूरक स्कीम के अधीन चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
नमनीय पूरक स्कीम के अधीन शत प्रतिशत स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा	<p>नमनीय पूरक स्कीम के अधीन शत प्रतिशत स्वस्थाने प्रोन्नति:</p> <p>वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसा वैज्ञानिक 'बी' जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखता हों :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/गणित/अनुप्रयुक्त गणित/ रसायन शास्त्र/परीक्षा द्वारा एआईसी/ वनस्पति विज्ञान/ जीव विज्ञान/ सुक्ष्म जीव विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी/ आनुवंश विज्ञान/ जीव रसायन/ जैव भौतिकी/ भेषज गुण विज्ञान/ भेषजी विज्ञान/ भौतिक मानव विज्ञान/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री/ सिविल/इलेक्ट्रिकल/यांत्रिकी/ इलेक्ट्रानिक्स/ दूर संचार/ कंप्यूटर विज्ञान/इंस्ट्रुमेंटेशन में बीई/बीटेक डिग्री</p> <p><b>टिप्पण 1</b> : प्रत्येक प्रवर्ग में व्यक्तियों पर केवल उसी प्रवर्ग के लिए विचार किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

(12)
कोई विभागीय प्रोन्नति समिति नहीं। तथापि छानबीन समिति और निर्धारण बोर्ड विद्यमान हैं तो उनकी संरचना निम्नानुसार है :- <b>छानबीन समिति</b>

1.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं	सदस्य
3.	भारत सरकार के किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है या अंतरिक्ष विभाग या आणविक ऊर्जा विभाग भी सम्मिलित है, से संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई प्रतिनिधि, (गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	सदस्य
<b>निर्धारण बोर्ड</b>		
1.	अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
3.	निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं	सदस्य
4.	न्यायालयिक विज्ञान के सुसंगत क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे)	सदस्य

(13)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)
3. उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' (प्राक्षेपिक)	- प्रवर्ग I
उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' (जीव विज्ञान)	- प्रवर्ग II
उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' (रसायन शास्त्र)	- प्रवर्ग III
उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' (विस्फोटक)	- प्रवर्ग IV
उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' (न्यूट्रान एक्टिवेशन एनलिसिस)	- प्रवर्ग V
उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' (भौतिकी)	- प्रवर्ग VI
उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' (विष विज्ञान)	- प्रवर्ग VII
उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' (प्रलेख)	- प्रवर्ग VIII

लागू नहीं होता क्योंकि पद नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रचालित हो रहा है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 (15600-39100 रु.) धन ग्रेड वेतन 7600 रु.	नमनीय पूरक स्कीम के अधीन चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(10)		(11)
नमनीय पूरक स्कीम के अधीन शत प्रतिशत स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा		नमनीय पूरक स्कीम के अधीन शत प्रतिशत स्वस्थाने प्रोन्नति : वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. में ऐसा सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक 'सी' जिसने श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखता हों :

	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/गणित/अनुप्रयुक्त गणित/रसायन शास्त्र/परीक्षा द्वारा एआईसी/वनस्पति विज्ञान/जीव विज्ञान/सुक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/आनुवंश विज्ञान/जीव रसायन/जैव भौतिकी/भेषज गुण विज्ञान/भेषजी विज्ञान/भौतिक मानव विज्ञान/न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री/सिविल/इलेक्ट्रिकल/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स/दूर संचार/कंप्यूटर विज्ञान/इंस्ट्रुमेंटेशन में बीई/बीटेक डिग्री</p> <p><b>टिप्पण 1</b> : प्रत्येक प्रवर्ग में व्यक्तियों पर केवल उसी प्रवर्ग के लिए विचार किया जाएगा ।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>
--	---

(12)		
कोई विभागीय प्रोन्नति समिति नहीं । तथापि छानबीन समिति और निर्धारण बोर्ड विद्यमान हैं जिनकी संरचना निम्नानुसार है :-		
<b>छानबीन समिति</b>		
1	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	अध्यक्ष
2	निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं	सदस्य
3	भारत सरकार के किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग या आणविक ऊर्जा विभाग भी सम्मिलित हैं, से संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई प्रतिनिधि, (गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	सदस्य
<b>निर्धारण बोर्ड</b>		
1	अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
3	निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं	सदस्य
4	न्यायालयिक विज्ञान के सुसंगत क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे)	सदस्य

(13)	
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।	

(1)	(2)
4. निदेशक एवं वैज्ञानिक 'ई'	लागू नहीं होता क्योंकि पद नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रचालित हो रहा है ।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 4, 37400-67000 रु. धन ग्रेड वेतन 8700 रु.	नमनीय पूरक स्कीम के अधीन चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
नमनीय पूरक स्कीम के अधीन शत प्रतिशत स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा	<p>नमनीय पूरक स्कीम के अधीन शत प्रतिशत स्वस्थाने प्रोन्नति :  वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु. में ऐसा उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी' जिसने श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखता हों :  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/गणित/अनुप्रयुक्त गणित/रसायन शास्त्र/परीक्षा द्वारा एआईसी/वनस्पति विज्ञान/जीव विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/आनुवंश विज्ञान/जीव रसायन/जैव भौतिकी/भेषज गुण विज्ञान/भेषजी विज्ञान/भौतिक मानव विज्ञान/न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री/सिविल/इलेक्ट्रिकल/यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/दूर संचार/कंप्यूटर विज्ञान/इंस्ट्रुमेंटेशन में बीई/बीटेक डिग्री</p> <p><b>टिप्पण 1</b> : प्रत्येक प्रवर्ग में व्यक्तियों पर केवल उसी प्रवर्ग के लिए विचार किया जाएगा ।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>

(12)	
कोई विभागीय प्रोन्नति समिति नहीं । तथापि छानबीन समिति और निर्धारण बोर्ड विद्यमान हैं जिनकी संरचना निम्नानुसार है :-	
<b>छानबीन समिति</b>	
1. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	अध्यक्ष
2. निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं	सदस्य
3. भारत सरकार के किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग या आणविक ऊर्जा विभाग भी सम्मिलित है, से संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई प्रतिनिधि, (गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	सदस्य
<b>निर्धारण बोर्ड</b>	
1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
3. निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय सेवाएं	सदस्य
4. न्यायालयिक विज्ञान के सुसंगत क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे)	सदस्य
(13)	
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।	

[सं. डीएफएसएस/38(3)/2011]

विनोद कुमार, अवर सचिव, (पी एम-II)

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30<sup>th</sup> December, 2013

**G.S.R. 806(E).**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Central Forensic Science Laboratories, Group ‘A’ and Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 1974, in so far as it relates to the posts of Director, Deputy Director, Assistant Director and Senior Scientific Officer Grade II, and the Bureau of Police Research and Development Government Examiner of Questioned Documents, Deputy Government Examiner of Questioned Documents and Assistant Government Examiner of Questioned Documents Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the posts of Director, Deputy Director or Government Examiner of Questioned Document, Assistant Director or Deputy Government Examiner of Questioned Documents and Senior Scientific Officer Grade II or Assistant Government Examiner of Questioned Documents respectively re-designated as Director & Scientist ‘E’, Deputy Director & Scientist ‘D’, Assistant Director & Scientist ‘C’, and Scientist ‘B’ in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services and its outlying Units, namely:—

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Group ‘A’ Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**- These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**- The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Inter-se-seniority and minimum qualifying period.**-

(1) The inter-se seniority shall be determined in accordance with the date of regular appointment of the officers to the respective grades subject to the condition that the inter-se-seniority shall not be disturbed within their respective grades.

(2) The posts mentioned in column (1) of the Schedule shall be operated under Flexible Complementing Scheme notified by the Department of Personnel and Training and amended from time to time (hereinafter referred to as the Flexible Complementing Scheme) and the said posts with designations as specified in column (1) of the table below shall carry the pay band and grade pay or pay scale as specified in column (2) of said table and shall have the minimum qualifying period linked to performance in a grade for promotion to the next grade as specified in column (3) thereof.

**TABLE**

Designation	Pay band and grade pay or pay scale	Minimum qualifying period linked to performance in a grade for promotion to the next grade
(1)	(2)	(3)
(a) Director & Scientist ‘E’	Pay Band - 4 (Rs. 37400-67000), Grade Pay: Rs. 8700	----
(b) Deputy Director & Scientist ‘D’	Pay Band - 3 (Rs. 15600-39100), Grade Pay: Rs. 7600	Four years
(c) Assistant Director & Scientist ‘C’	Pay Band - 3 (Rs. 15600-39100), Grade Pay: Rs. 6600	Four years
(d) Scientist ‘B’	Pay Band - 3 (Rs. 15600-39100), Grade Pay: Rs. 5400	Three years

5. Criteria for considering in-situ promotions and procedure for selection or review under the Flexible Complementing Scheme. The following criteria and procedure for selection or review shall be followed for in-situ promotion of scientists from the grade of Scientist ‘B’ to Assistant Director & Scientist ‘C’, Assistant Director & Scientist ‘C’ to Deputy Director & Scientist ‘D’ and Deputy Director & Scientist ‘D’ to Director & Scientist ‘E’ under the Flexible Complementing Scheme, namely:-

(1) There shall be two levels of assessment, the first level shall be at internal level for screening purposes and the next level shall be for external assessment purposes for selection and for this purpose,-

(a) consideration for promotion under the Flexible Complementing Scheme shall be done once in a year before 1<sup>st</sup> January of every year and those officers who have completed or shall complete the required qualifying period in a particular post during the period of six months up to 31<sup>st</sup> December of the year preceding the year in which assessment is to be done and up to 30<sup>th</sup> June of the year in which the assessment is to be done, shall be considered for promotion to the next higher grade and the crucial date for determining requisite qualifying period shall be the 1<sup>st</sup> January of the year in which assessment is to be done;

(b) where an eligible officer is on foreign service or study leave in India or abroad, his or her case shall be considered and if such person has been approved for in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme to the next higher grade, the effective date of such promotion shall be from the date of resumption of duty in the Directorate of Forensic Science Services or any of its outlying Units, as the case may be, and financial benefit shall accrue from the same date and no traveling allowance or dearness allowance shall be provided to attend the interview.

(c) all officers eligible under the Flexible Complementing Scheme shall be considered for promotion there under but exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading may be granted relaxation in the qualifying period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career and the assessment under the Flexible Complementing Scheme for next grade shall only be three times and officers who have been granted any grade under Modified Assured Career Progression Scheme may be considered for next grade under the Flexible Complementing Scheme according to the eligibility and provisions notified by the Department of Personnel and Training vide their notification and orders issued from time to time in this regard;

(d) an officer promoted carries the post with him and consequently no vacancy is caused at the lower level and where a vacancy is caused due to an officer vacating a post by retirement on superannuation or voluntary retirement or resignation or death, the same shall be filled in at the level of Scientist 'B' in accordance with the roster for direct recruitment or promotion;

(e) field experience in scientific activities and services is compulsory for promotion of scientists to higher grades under the Flexible Complementing Scheme.

(2) The first level of internal Screening shall be done by the Screening Committee specified in column (3) of the table under sub rule (6) which shall evaluate the annual work reports in accordance with the criteria for upgradation under the Flexible Complementing Scheme and all eligible officers who meet with the benchmark of 'Good' for Assistant Director & Scientist 'C', 'Very Good' for Deputy Director & Scientist 'D' and above, shall be screened in and a report on the scientific content of work done by such officers shall be given by the screening committee in the following format for being made available to the Assessment Board, namely:-

Screening Committee Review Report:

1. Grading of the Scientific and Technical content of work reported
2. Specific Innovation elements recognized
3. Relative Assessment of the work reported vis-à-vis Peers in the area:  
[ Top 10%, 10-33% , 33-50%, 50-75% Bottom 25%.]
4. Assessment of the work done during the qualifying period
5. Specific highlights of the scientific and technical content of the work done
6. Overall grading of the scientific and technical work report for the qualifying period:  
[ Top 10% 10-33% 33-50% 50-75% Bottom 25%]

“Signatures of the Members of the Screening Committee”.

(3) The Approving Authority (Screening), specified in column (4) of the table under sub-rule 6), shall consider all cases recommended by the Screening Committee and approve the same and in case it decides that any officer does not qualify for consideration for promotion by the Assessment Board, his or her case shall be placed before the Screening Committee after one year for its consideration and the procedure for screening as specified in sub- rule (2) shall be followed again.

(4) For the purposes of second level of external assessment;

(a) for evaluating suitability of officers for in-situ promotion; all officers who have been screened-in and recommended by the screening committee and approved by the Approving Authority (Screening) shall be assessed by the Assessment Board specified in column (5) of the table under sub-rule (6);

(b) the Assessment Board shall evaluate the accomplishments of each officer in terms of their work and recommend his or her suitability for promotion to the higher grade and the said Board shall, apart from the accomplishments of such officer during the period under consideration, also keep in mind the keenness exhibited by such officer in the pursuit of his or her profession and ability to take up higher responsibilities including scientific activities and services and development capabilities, managerial or leadership qualities;

(c) the Assessment Board shall, after taking into consideration the performance and merit of each officer, document, specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying their merit for consideration under the Flexible Complementing Scheme and certify that the officers so recommended meet with the criteria for in situ up-gradation under the Flexible Complementing Scheme ;

(d) on the basis of its assessment, the Assessment Board may recommend any one of the following:-

- (i) Promotion of the officer to the next higher grade; or
- (ii) Status quo – i.e. no change in the grade

(e) review of cases of those officers who have been recommended status quo by the Assessment Board shall again be considered by the Screening Committee after a period of one year and the procedure specified in sub-rules(2) to (4) shall be followed again .

(5) The recommendations made by the Assessment Board shall be considered by the Approving Authority (Assessment) specified in column (6) of the table under sub-rule (6) and its decision on each case shall be final.

(6) The Composition of Screening Committee, Approving Authority (Screening), Assessment Board and Approving Authority(Assessment) shall be as given in the table below:—

**TABLE**

Sl. No	Grade to which promotions shall be made	Screening Committee	Approving Authority (Screening)	Assessment Board	Approving Authority (Assessment)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Deputy Director & Scientist 'D' to Director & Scientist 'E'	The Screening Committee shall consist of the following members, namely:-  1. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman  2. Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Member	Additional Secretary, Ministry of Home Affairs	The Assessment Board shall consist of the following members, namely:-  1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman  2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member  3. Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Member  4. Three experts in the relevant field of Forensic Science (to be nominated by the Union Public Service - Members	Minister-in-charge, Ministry of Home Affairs



Sl. No	Grade to which promotions shall be made	Screening Committee	Approving Authority (Screening)	Assessment Board	Approving Authority (Assessment)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3.A representative - Member from any organization of Government of India in the field of Science and Technology or Defence Research and Development Organisation or Department of Space or Department of Atomic Energy, not below the rank of Joint Secretary (to be nominated by the Ministry of Home Affairs)		Commission)	
(2)	Assistant Director & Scientist 'C' to Deputy Director & Scientist 'D'	1.Joint Secretary, Ministry of Home Affairs -Chairman 2.Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services -Member 3.A representative from any organization of Government of India in the field of Science and Technology or Defence Research and Development Organization or Department of Space or Department of Atomic Energy, not below the rank of Joint Secretary (to be nominated by the Ministry of Home Affairs) -Member	Additional Secretary, Ministry of Home Affairs	1.Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman 2.Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member 3.Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Member 4.Three experts in the relevant field of Forensic Science (to be nominated by the Union Public Service Commission) - Members	Minister-in-charge, Ministry of Home Affairs
(3)	Scientist 'B' to Assistant Director & Scientist 'C'	1.Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman 2.Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science - Member	Additional Secretary, Ministry of Home Affairs	1.Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman 2.Joint Secretary, Ministry of Home Affairs -Member	Minister-in-charge, Ministry of Home Affairs

Sl. No	Grade to which promotions shall be made	Screening Committee	Approving Authority (Screening)	Assessment Board	Approving Authority (Assessment)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Services  3. A representative -Member from any organization of Government of India in the field of Science and Technology or Defence Research and Development Organisation or Department of Space or Department of Atomic Energy, not below the rank of Joint Secretary (to be nominated by the Ministry of Home Affairs)		3. Director-cum- - Member Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services  4. Three experts in - Members the relevant field of Forensic Science (to be nominated by the Union Public Service Commission)	

**6. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.-** (1) The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

(2) The Flexible Complementing Scheme for in-situ promotion shall be followed in respect of departmental officers, to the grades of Assistant Director & Scientist 'C', Deputy Director & Scientist 'D' and Director & Scientist 'E' in accordance with the procedure specified in rule 5 and there shall be complete interchangeability within each category mentioned in the Schedule without any restriction except that the total number of incumbents shall not exceed the total number of sanctioned posts.

(3) In-situ Promotions under the Flexible Complementing Scheme shall be personal to the officer concerned not resulting in specific vacancy in the lower grade on that account and the post being currently held by the concerned officer shall be upgraded for the duration of his or her stay in the promotion post and the post shall revert to the original level once the officer vacates the higher post.

(4) The effective date of promotion of officers found eligible for promotion under the Flexible Complementing Scheme shall be from the date of approval of promotion by Approving Authority (Assessment).

(5) The officers who are away on leave shall be allowed pay in the higher pay scale only from the date they join back and assume the duties of the higher post.

(6) The officers who are away on deputation shall be given promotion with effect from the date they repatriate and join in the Directorate of Forensic Science Services or any of its outlying units, as the case may be, but proforma promotion shall not apply.

(7) The officers who fail to appear physically for the assessment for reasons of leave or deputation or Foreign Service shall not be eligible for promotion.

(8) The officers who have been allowed to take technical resignation with retention of lien shall be promoted only with effect from the date they join back in the Directorate of Forensic Science Services or any of its outlying units, as the case may be.

(9) The Screening Committee shall consider the candidature of only those officers who fulfill all the eligibility conditions as laid down in the aforesaid Schedule and discretion shall not be available with any authority for relaxing the said eligibility conditions for any category of officers for promotions under the Flexible Complementing Scheme and the officer who does not fulfill the requisite eligibility condition shall not be entitled to be considered for promotion under the Flexible Complementing Scheme on the ground that his junior who fulfills the requirement is being considered.

(10) The period spent on deputation or foreign service to another scientific post which helps the officer to acquire scientific experience or field experience and period of study leave or any other leave availed for improving academic accomplishments, maternity leave sanctioned as per the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, leave of a maximum period of one year sanctioned in continuation of maternity leave as per said leave rules, earned leave sanctioned for a period not exceeding 180 days at a time (the ceiling under Central Civil Services (Leave) Rules, 1972) shall count as qualifying period for promotion but periods spent on deputation or foreign service to non-scientific posts and period of leave including leave on medical grounds and extraordinary leave availed on personal grounds shall not count towards qualifying period.

**7. Disqualification.-** No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**8. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**9. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post (1)		Number of Posts (2)																																											
1.Scientist 'B' (Ballistics) - Category-I		102*																																											
Scientist 'B' (Biology) - Category-II		(2013)																																											
Scientist 'B' (Chemistry) - Category-III		(*Subject to variation dependent on workload)																																											
Scientist 'B' (Explosive) - Category-IV		<b>Note:</b> Number of posts includes Scientist 'B', Assistant Director & Scientist 'C', Deputy Director & Scientist 'D' and Director & Scientist 'E' as per details below:																																											
Scientist 'B' (Neutron Activation Analysis) - Category-V		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Sc. 'B'</th> <th>A.D. &amp; Sc. 'C'</th> <th>DD &amp; Sc. 'D'</th> <th>Direct or &amp; Sc. 'E'</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ballistics</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td rowspan="8">3</td> <td rowspan="8">102</td> </tr> <tr> <td>Biology</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Chemistry</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Explosive</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Neutron Activation Analysis</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Physics</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Toxicology</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Document</td> <td>21</td> <td>12</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>				Category	Sc. 'B'	A.D. & Sc. 'C'	DD & Sc. 'D'	Direct or & Sc. 'E'	Total	Ballistics	4	3	3	3	102	Biology	6	3	3	Chemistry	5	2	2	Explosive	3	3	3	Neutron Activation Analysis	1	1	1	Physics	4	2	3	Toxicology	5	3	3	Document	21	12	3
Category	Sc. 'B'	A.D. & Sc. 'C'	DD & Sc. 'D'	Direct or & Sc. 'E'	Total																																								
Ballistics	4	3	3	3	102																																								
Biology	6	3	3																																										
Chemistry	5	2	2																																										
Explosive	3	3	3																																										
Neutron Activation Analysis	1	1	1																																										
Physics	4	2	3																																										
Toxicology	5	3	3																																										
Document	21	12	3																																										
Scientist 'B' (Physics) - Category-VI																																													
Scientist 'B' (Toxicology) - Category-VII																																													
Scientist 'B' (Documents) - Category-VIII																																													
Classification (3)	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale (4)	Whether selection post or non-selection post (5)	Age limit for direct recruits (6)																																										
General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 3 (Rs. 15600-39100)and Grade Pay Rs. 5400	Selection post	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).																																										

			<b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date prescribed for application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pong Sub Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) .
--	--	--	---

## Educational and other qualifications required for direct recruits

(7)

**I) ESSENTIAL:****i) Educational Qualification:****(a) Scientist 'B' (Ballistics):**

Master's degree in Physics/ Mathematics/Applied Mathematics/ Forensic Science with Physics or Mathematics as one of the subjects at Bachelor of Science level from a recognized University;

**(b) Scientist 'B' (Biology):**

Master's degree in Botany/ Zoology/ Microbiology/ Biotechnology/ Biochemistry /Physical Anthropology /Forensic Science/ Genetics with Botany or Zoology as one of the subjects at Bachelor of Science level from a recognized University;

**(c) Scientist 'B' (Chemistry):**

Master's degree in Chemistry/ AIC by examination/Biochemistry/ Forensic Science with Chemistry as one of the subjects at Bachelor of Science level from a recognized University;

**(d) Scientist 'B' (Explosive):**

Master's degree in Chemistry/ AIC by examination/Forensic Science with Chemistry as one of the subjects at Bachelor of Science level from a recognized University;

**(e) Scientist 'B' (Neutron Activation Analysis):**

Master's degree in Chemistry/ AIC by examination/ Physics/ Forensic Science with Chemistry or Physics as one of the subjects at Bachelor of Science level from a recognized University;

**(f) Scientist 'B' (Physics):**

Master's degree in Physics/ Applied Physics/ Biophysics/ Bachelor of Engineering (Civil/ Electrical/ Mechanical /Electronics/ Telecommunication/Computer Science/Instrumentation) / Forensic Science with Physics as one of the subjects at Bachelor of Science level from a recognized University;

**(g) Scientist 'B' (Toxicology):**

Master's degree in Chemistry/ AIC by examination/ Biochemistry/ Pharmacology/ Pharmacy/ Forensic Science with Chemistry as one of the subjects at Bachelor of Science level from a recognized University;

**(h) Scientist 'B' (Documents):**

Master's degree in Chemistry/AIC by examination/ Physics/ Forensic Science with Chemistry or Physics as one of the subjects at Bachelor of Science level from a recognized University; and

**ii) Experience:**

Three years experience of analytical methods and research therein in the relevant field in any Central Government or State Government organization or recognized research institute or Forensic Science Laboratory under the Central or State Government.

**Note 1:** The relevant disciplines(s) in educational qualifications and areas in which research experience is required shall be specified according to the requirement at the time of recruitment.

**Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 3:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion of that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**II) DESIRABLE**

- (i) Experience of working in a Forensic Science Laboratory.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct	Period of	Method of recruitment, whether by direct
--	-----------	--

recruits will apply in the case of promotees	probation, if any	recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by the various methods.
(8)	(9)	(10)
<p>Age: No</p> <p>Educational qualification: No, but must possess at least Bachelor of Science degree in the relevant subject.</p> <p>Note: Note 1 under column (7) regarding prescription of exact disciplines will not apply in case of promotees. Persons possessing qualification and experience in any of the disciplines mentioned in each category shall be considered for promotion in that category only.</p>	<p>One year for direct recruits and promotees</p>	<p>(i) 50% by promotion failing which by direct recruitment.</p> <p>(ii) 50% by direct recruitment.</p> <p>Note: Prescription of the method of recruitment will be applicable to each category individually.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances, in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>PROMOTION</b></p> <p>(i) For posts of -----  <u>Scientist 'B' (Ballistics)/</u>  <u>Scientist 'B' (Biology)/</u>  <u>Scientist 'B' (Chemistry)/</u>  <u>Scientist 'B' (Explosive)/</u>  <u>Scientist 'B' (Neutron Activation Analysis)/</u>  <u>Scientist 'B' (Physics)/</u>  <u>Scientist 'B' (Toxicology):</u></p> <p>Junior Scientific Officer with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>(ii) For posts of <u>Scientist 'B' (Documents):</u></p> <p>Assistant Central Intelligence Officer Grade-I (Documents) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed their qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date</p>	<p><u>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):</u></p> <p>1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>2. Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Member</p> <p>3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member</p> <p><u>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)</u></p> <p>1. Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Chairman</p> <p>2. Director of Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Member</p> <p>3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion</p>

from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale on the recommendations of the Pay Commission.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)
2. Assistant Director & Scientist 'C' (Ballistics) Assistant Director & Scientist 'C' (Biology) Assistant Director & Scientist 'C' (Chemistry) Assistant Director & Scientist 'C' (Explosive) Assistant Director & Scientist 'C' (Neutron Activation Analysis) Assistant Director & Scientist 'C' (Physics) Assistant Director & Scientist 'C' (Toxicology) Assistant Director & Scientist 'C' (Document)	- Category-I - Category-II - Category-III - Category-IV - Category-V - Category-VI - Category-VII - Category-VIII	Not applicable as the post is operating under Flexible Complementing Scheme  General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial

(4)	(5)	(6)
Pay Band-3 (Rs. 15600-39100), Grade Pay Rs. 6600	Selection Post under Flexible Complementing Scheme:	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Hundred Percent in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme	<p>In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme:</p> <p>Scientist 'B' in PB-3 of Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400 with three years' regular service in the grade and having the following educational qualification:</p> <p>Master's degree in Physics/Applied Physics/ Mathematics/Applied Mathematics/ Chemistry/AIC by examination/ Botany/ Zoology/ Microbiology/ Biotechnology/ Genetics/ Biochemistry/ Biophysics/ Pharmacology/ Pharmacy/ Physical Anthropology/ Forensic Science/ B.E./B.TECH. in Civil/Electrical /Mechanical /Electronics/ Telecommunications/ Computer Science / Instrumentation from a recognized university.</p> <p>Note 1: Persons in each category shall be considered for that category only.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for in-situ promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale on the recommendations of the Pay Commission.</p>

(12)	(13)
<p>No DPC. However Screening Committee and Assessment Board are there, the composition of which are as under:</p> <p><u>Screening Committee:</u></p> <p>1. Joint Secretary, - Chairman Ministry of Home Affairs</p> <p>2. Director-cum-Chief Forensic Scientist, - Member Directorate of Forensic Science Services</p> <p>3. A representative not below the rank of Joint Secretary from any Science and Technology organization of Government of India including Defence Research and Development Organization or Department of Space or Department of Atomic Energy (to be nominated by the Ministry of Home Affairs) - Member</p> <p><u>Assessment Board</u></p> <p>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>2. Joint Secretary, - Member Ministry of Home Affairs</p> <p>3. Director-cum-Chief Forensic Scientist, - Member Directorate of Forensic Science Services</p> <p>4. Three experts in the relevant field of Forensic Science (to be nominated by the Union Public Service Commission) - Members</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary.</p>

(1)	(2)	(3)
<p>3. Deputy Director &amp; Scientist 'D' (Ballistics) - Category-I</p> <p>Deputy Director &amp; Scientist 'D' (Biology) - Category-II</p> <p>Deputy Director &amp; Scientist 'D' (Chemistry) - Category-III</p> <p>Deputy Director &amp; Scientist 'D' (Explosive) - Category-IV</p> <p>Deputy Director &amp; Scientist 'D' (Neutron Activation Analysis) - Category-V</p> <p>Deputy Director &amp; Scientist 'D' (Physics) - Category-VI</p> <p>Deputy Director &amp; Scientist 'D' (Toxicology) - Category-VII</p> <p>Deputy Director &amp; Scientist 'D' (Documents) - Category-VIII</p>	<p>Not applicable as the post is operating under Flexible Complementing Scheme.</p>	<p>General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.</p>

(4)	(5)	(6)
<p>Pay Band-3 (Rs. 15600-39100), Grade Pay Rs. 7600</p>	<p>Selection Post under Flexible Complementing Scheme:</p>	<p>Not applicable</p>

(7)	(8)	(9)
<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>

(10)	(11)
<p>By Hundred percent in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme.</p>	<p>In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme:</p> <p>Assistant Director &amp; Scientist 'C' in PB-3 of Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600' with four years' regular service in the grade and having the following educational qualification:</p> <p>Master's degree in Physics/Applied Physics/Mathematics/Applied Mathematics/Chemistry/AIC by examination/Botany/Zoology/Microbiology/Biotechnology/Genetics/Biochemistry/Biophysics/Pharmacology/ Pharmacy/ Physical Anthropology/ Forensic Science/B.E./B.TECH. in Civil/ Electrical /Mechanical/ Electronics/ Telecommunications/Computer Science/ Instrumentation from a recognized university.</p> <p>Note 1: Persons in each category shall be considered for that category only.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for in-situ promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale on the recommendations of the Pay Commission.</p>

(12)	(13)	
<p>No DPC. However Screening Committee and Assessment Board are there, the composition of which are as under:</p> <p><u>Screening Committee</u></p> <p>1. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman</p> <p>2. Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Member</p> <p>3. A representative not below the rank of Joint Secretary from any Science and Technology organization of Government of India including Defence Research and Development organization or Department of Space or Department of Atomic Energy (to be nominated by the Ministry of Home Affairs) - Member</p> <p><u>Assessment Board</u></p> <p>1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>3. Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Member</p> <p>4. Three experts in the relevant field of Forensic Science (to be nominated by the Union Public Service Commission) - Members</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary.</p>	

(1)	(2)	(3)
4. Director & Scientist 'E'	Not applicable as the post is operating under Flexible Complementing Scheme	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.

(4)	(5)	(6)
Pay Band- 4 (Rs. 37400-67000), Grade Pay Rs. 8,700	Selection Post under the Flexible Complementing Scheme	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Hundred percent in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme	<p>In-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme:</p> <p>Deputy Director &amp; Scientist 'D' in PB-3 of Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs. 7600 with four years' regular service in the grade and having the following educational qualifications:—</p> <p>Master's degree in Physics/Applied Physics/ Mathematics/Applied Mathematics/ Chemistry /AIC by</p>



	<p>Examination/ Botany/ Zoology/ Microbiology/ Biotechnology/ Genetics/ Biochemistry/ Biophysics/ Pharmacology/ Pharmacy/ Physical Anthropology/ Forensic Science/ B.E./B.TECH. in Civil/ Electrical /Mechanical/Electronics/Telecommunications/Computer Science Instrumentation from a recognized university.</p> <p>Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for in-situ promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale on the recommendations of the Pay Commission.</p>
--	---

(12)	(13)
<p>No DPC. However Screening Committee and Assessment Board are there, the composition of which are as under: <u>Screening Committee:</u></p> <p>1.Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman</p> <p>2.Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Member</p> <p>3. A representative not below the rank of Joint Secretary from any Science and Technology organization of Government of India including Defence Research and Development organization or Department of Space or Department of Atomic Energy (to be nominated by the Ministry of Home Affairs) - Member</p> <p><u>Assessment Board</u></p> <p>1.Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>2.Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>3.Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Member</p> <p>4.Three experts in the relevant field of Forensic Science (to be nominated by the Union Public Service Commission) - Members</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary.</p>

[No. DFSS/38(3)/2011]

VINOD KUMAR, Under Secy. (PM-II)